In the Lok Adalat held on the date mentioned above
Before Shri Chhotalal Garg S.D.M. & Sub Divisional Officer Chhapadoli
प्रकरण सं. 38/2016 दावा
दायरा दिनांक :- 11-4-2016
निर्णय दिनांक :- 30.6.2017

उनवान

श्रीमती नाजा वल्द पिल्ला रामजनाथ जा० कब्रेस्तान जाति मोची निवासी ग्राम पीपलखेड़ा तह० छीपाबड़ौद

बनाम

1. मो० इस्हाक उर्फ इसा बोलदिंग वाला जा० अब्दुल रज्जाक जाति मुसलमान निवासी ग्राम छीपाबड़ौद
2. राज० सरकार जरिये तहसीलदार छीपाबड़ौद

वाद अन्तर्गत धारा 53 RTA
निर्णय दिनांक :- 30.6.2017

अभिभाषक वादीगण द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 RTA किया जाकर कही गया कि के न्यायालय के इस आशय का पेश किया गया कि आराजी ख०नं० 1281/3 रकबा 6.05 वीघा ग्राम छीपाबड़ौद के स्थित है जिसके बाबी का रहिस्ता 1050/ भूमि खाते के अंकित है जो शामलाती खातेदारी एवं कब्रि के चली आ रही थी उक्त भूमि खाता नं० 370/359 ख०नं० 1 रकबा 6.05 वीघा खोते जमाबन्दी के मेकलाल पुत्र कालूलाल, किशनीबाई पुत्री कालूलाल सं० 3/7 सभी कराट जो पाल, धन मांगीलाल, रतना सीमा पुत्रियां मांगीलाल सभी 5242 पुश्तैनी मांगीलाल, राजेश पुत्र मांगीलाल सभी 4921911 के है 1050/19 भूमि प्राई बाबी का। मो० इस्हाक व प्राई बाबी का 2 उनासंकर काश धाकड़ निवासी ग्राम रतनपुरा सं० 1050/1911 भूमि खोते का आदेश एस एस ओ नं० 2196/2013/12 से हुआ है जिसके बाद कायम रहिस्ते के रहिस्ता 12/1911 जगह रजिस्ट्रर बेलाग बाबी को छीपाबड़ौद के द्वारा किया गया। उक्त वर्णित आराजी आबादी के

उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद जिला बारां

Scanned by CamScanner

है अतः वादी वादिनी की आराजी का आवश्यक रूप से कम्प्यूटरीकृत कराया जाना है जो शामिल कोर्टफीस के संबंध में ही उक्त वर्णित आराजीपत्र के दि अनुसार वादिनी का खारिज किया जाने का कार्यवाही अधिकारी है। राजस्व रिकार्ड में श्यामलाली कोरवारी में मेघलाल पुत्र अमरलाल, कवीदास, किशनी बाई पुत्री अमरलाल सही 3/2 सही करार, राकेश, गोपाल, धनराज पुत्र मांगीलाल, कमला, सीता पुत्रियां मांगीलाल सही 5242, पुत्रिया बाई बदा मांगीलाल सही 1/42 कन्हैयालाल पुत्र धापिया सही 3/14 ओमप्रकाश, रामदयाल, गिरीश पुत्र कन्हैयालाल, मांगीबाई, कोशल्याबाई इन्द्राबाई पुत्रिया कन्हैयालाल सही 3/14 कोम काछी, इन्दरराम पुत्र चोथमाल सही 1/9, कोम धाकड़, रविकान्त पुत्र त्रिलोकचन्द सही 1/9, कोम के खाते राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी ने अपने वादी गण के खिलाफ 9.4.16 को उक्त वर्णित आराजी का खारिज किये जाने के लिए कहा तो अपने वादी गण से ध्यान नहीं दिया जाये वादी ने तहसीलदार के समक्ष किया जो खारिज होने बाद अपील करने की तारीख से 90 दिन बाद पत्र का प्रमाण बाद कारण इस बाद पत्र की विधान मुताबिक कराई की गयी है वादी द्वारा बाद स्वीकार करने का निवेदन किया है।

वादी का बाद दर्ज रजिस्टर कर अपने वादी गण को जारी समन तलब किया गया। अपने वादी गण की ओर से इकबाली बयान पेश हुआ। वादी ने अपने पक्ष के समर्थन में वकील श्रीमती दीपा छोपाकर्णी समन 2069-72 खाता नं. 370 पेश की गयी प्रकरण राजस्व लोक अदालत -काम आपके अर कोम छोपाकर्णी पर रजू गया। वादी एवं अपने वादी गण को लोक अदालत छोपाकर्णी पर उपस्थित होने बाबत नोटिस जारी किये गये। वादी राजस्व लोक अदालत -काम आपके अर कोम के उपस्थित है वादी द्वारा एवं उ. वेकर विवादित आराजी का सुनिश्चित रहित्या खारिज करने का निवेदन किया है अपने वादी वकील द्वारा सुनिश्चित रहित्या खारिज करने के उत्तरार्ई बाबत की गयी। वादी एवं अपने वादी के वकील की उत्तरार्ई के आधार पर वादी का दावा स्वीकार किया जाना -यायोचित है।

निष्पादक आदेश

उपरोक्त विवेचनानुसार वादिनी का बाद आपसी सहमति के आधार पर स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी नाके छोपाकर्णी के ख. नं. 128/31 रकबा 6.05 बीघा के बाबी का रहित्या 18/1

लगातार -3

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

(3)

कक्षे अनुरोध इसके साथ किसान का किसान प्रमाण पत्र किसान प्रमाण पत्र के तहसीलदार छोपाबड़ौद को आदेशित किया जाए कि तत्काल प्रभाव से पत्र जारी करें। किसान प्रमाण पत्र के तहसीलदार छोपाबड़ौद को तहरीर जारी करें। प्रार्थी किसान प्रमाण पत्र दिनांक 7.7.17 को पेश करें।

उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद जिला बारां
उपखण्ड अधिकारी छोपाबड़ौद

Scanned by CamScanner

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट छीपाबड़ौद जिला बारां

आर्थिक डिक्री

वाद संख्या 38/16	धारा अंतर्गत 53 RTA	निर्णय दिनांक 30.6.17
समक्ष - श्री हीरालाल नगर RAS उपखण्ड अधिकारी छीपाबड़ौद		
उपस्थिति - अभिभाषक वादी Sh. A.K. Jain	अभिभाषक प्रतिवादी Sh. A.K.P	

वाद शीर्षक

श्रीमती गंगा देवी पुत्री रामप्रताप का. कंचीलाल जाटी कोधा
प्रकाश उर्फ पप्पूसिंह पीपलहेडा तह- छीपाबड़ौद

बनाम

1. मो. इस्हाक उर्फ इसरा वल्द जा. अब्दुल रज्जाक जाटी
गुलजार कॉलोनी, उम छीपाबड़ौद
2- राज. सेकोंट उर्फ तहसीलदार छीपाबड़ौद

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद मेंयह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि
वादिया का हक स्वीकार कायम किया जाकर के आधार
पर स्वीकार किया जाय है विवादित कारण नाके उम छीपाबड़ौद
के ख.नं. 1281/3 रकबा 6.05 बीघा के बारे का रिकॉर्ड 18/1911
कक्ष अनुसार एक-एक हिस्सा का विभाजन उपखण्ड अधिकारी
एवं तहसीलदार छीपाबड़ौद का आदेशित किया जाय है।

साथ ही नियमानुसार.....रू0 का व्यायानुतोष.....द्वारा.....को प्रदान किया जाए
उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 30.6.17 को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद जिला बारां (राज.)

व्ययानुतोष		
क्र.सं. व्ययमद	वादी	प्रतिवादी
1. वादपत्र/लिखित कथन (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
2. अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
3. साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
4. प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
5. पारीश्रमिक अभिभाषक		
6. व्यय साक्षी		
7. फीस कमिश्नर		
8. अन्य मांग पूर्ति		
9. ब्याज (%)		
10. योग		

खाते दर्ज करने का आदेश एमएनओ नं 2196/2013/12 से हुआ है। इसके बाद

Scanned by CamScanner